कार्यालय
वनमण्डलाधिकारी,
नीमच (म0प्र0)

E-mail- dfot.nmh@mp.gov.in **Phone No. (07423) 226605**

क्रमांक / तकनीकी / 2024 / 4592 **नीमच, दिनांक :—25.07.2024**

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जलसंसाधन संभाग नीमच

विषयः— गंगाबावड़ी जलाशय योजना में वनभूमि व्यपवर्तन से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने बाबत्।

संदर्भः— आपका पत्र क्रमांक /292/कार्य/गंगाबावड़ी ता./2024 दिनांक 09.02.2024 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तकनीकी/2024/293 दिनांक 15.01.2024 , 353 दिनांक 18.01.2024 एवं उपवनमण्डलाधिकारी मनासा का पृष्ठां. क्र./मा.चि./2023/1593 दिनांक 27.12.2023 तथा वनपरिक्षेत्राधिकारी मनासा का पत्र क्रमांक/2023/1784 दिनांक 24.12.2023.

विषयांकित प्रकरण में कार्यालयीन संदर्भित पत्र दिनांक 15.01.2024 का अवलोकन करें। जिसके संलग्न उपवनमण्डलाधिकारी मनासा एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी मनासा के संदर्भित पत्रों से प्राप्त प्रतिवेदन आपको प्रेषित किया गया हैं। जिसमें गंगाबावड़ी जलाशय निर्माण कार्य हेतु व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 287 में 190 मीटर पाल निर्माण में रकबा 0.621 हे. एवं कक्ष क्रमांक 287,290,293 के वनक्षेत्र में अवैध उत्खनन से रकबा 0.679 हे. कुल रकबा 1.30 हे. वनक्षेत्र में अनुमति के पूर्व कार्य करना बताया गया हैं।

गंगाबावड़ी जलाशय निर्माण प्रकरण की परिवेश पोर्टल 1.0 पर भाग—2 की ऑनलाईन पूर्ति करने हेतु वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन होने पर निम्नानुसार बिन्दुओं की प्रविष्टि करना अनिवार्य हैं।

01. Details of violation :-
02. Period of work done (in Years) :-
03. Area of forest land involved in violation (in ha.) :-
04. Name of person(s) responsible for violation:-
05. Designation & Address of person(s) responsible for violation:-
06. Action taken against the person(s) responsible for violation :-
07. Whether work in violation is still in progress(Yes\No) :-

उपरोक्तानुसार बिन्दुवार जानकारी तैयार कर अविलंब इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त जानकारी की प्रविष्टि करने के उपरांत ही प्रकरण ऑनलाईन अग्रेषित किया जाना संभव होगा।

(एस.के.अटोदे)
I.F.S.
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल नीमच

क्रमांक / तकनीकी / 2024 / 4593 **नीमच, दिनांक :—25.07.2024**

प्रतिलिपिः—

(01) उपवनमण्डलाधिकारी मनासा।
(02) वनपरिक्षेत्राधिकारी मनासा।

की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में भेजकर लेख हैं, कि प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दुओं की जानकारी तैयार कर उपवनमण्डलाधिकारी के माध्यम से अविलंब इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल नीमच